सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR **VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY**
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Subject: Notified Recruitment Rules – Regarding

A copy of notified Recruitment Rules for the following posts are enclosed herewith for uploading the same on the Academy Website under "Recruitment Rules" column please.

a. Swimming Coach
b. Network administrator

29/1/21

(Dr. K P A Ilyas)
Asstt. Director (Estt)

Asstt. Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5 Dated: 29 .01. 2021

Internal

A1, A3 and B-2 : To fill up the vacant posts as per the method of recruitment.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08012021-224278
CG-DL-W-08012021-224278

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, दिसम्बर 27, 2020—जनवरी 2, 2021, शनिवार / पौष 6 — पौष 12, 1942
No. 42] NEW DELHI, DECEMBER 27, 2020 - JANUARY 2, 2021, SATURDAY/PAUSHA 6 - PAUSHA 12, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 208.–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (तैराकी शिक्षक) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में तैराकी शिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तैराकी शिक्षक भर्ती नियम, 2020 है।

   2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**– पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**–वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**–जहां केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तैराकी शिक्षक	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 6 (रु. 35,400–112,400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक की छूट है। **टिप्पणी** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**शैक्षणिक अर्हता :** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तैराकी में कोचिंग डिप्लोमा या प्रमाण पत्र ; और (iii) ओलंपिक या एशियाई खेल या विश्वप्रतियोगिता या राष्ट्रमंडल खेलों या राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता का प्रमाणपत्र होना चाहिए । **अनुभव** : सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से तैराकी शिक्षक के रूप दो वर्ष का अनुभव।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति नियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रति नियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रति नियुक्ति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रति नियुक्ति– केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारी–

			(क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारक ; या (ii) पे मैट्रिक्स में स्तर– 5 (रु. 29200–92300) में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ ; (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु विदित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि होना चाहिए। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह–'ग' हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे– 1. संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. उप निदेशक –सदस्य 3. सहायक निदेशक –सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/67/2018–पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 208 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Swimming Coach) Recruitment Rules, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Swimming Coach in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Swimming Coach, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Swimming Coach.	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -6 in the pay matrix. (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Educational Qualification:** (i) Bachelor Degree from a recognised University or Institution. (ii) Coaching Diploma or Certificate in swimming from a recognised Institute; and (iii) Possessing Certificate of participation in Olympic or Asian games or Word Championship or Common Wealth games or National games. **Experience:** Two years experience as Swimming Coach from an institution recognised by the Government.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By Deputation failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers of the Central Government or State Government or Union Territories: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the level - 5 of pay matrix (Rs. 29200-92300), (b) possessing the essential educational qualifications, experience, etc. prescribed for direct recruits under column (7). **Note-1.** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note-2.** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consists of :-** (i) Joint Director – Chairman; (ii) Deputy Director- Member; (iii) Assistant Director –Member.	Not applicable.

[F.No. 23011/67/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 209 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर) भर्ती नियम, 2020 है।

   (ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.–जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	03* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (रू. 29,200–92,300/–)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)	**प्रोन्नति** – वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25500–81100/–) में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की श्रेणी में 5 वर्षीय नियमित सेवा होना चाहिए। **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) – **केन्द्रीय या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी** :–

			(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो ; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर –4 (25500–81100/–) में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या समकक्ष के रूप में 5 वर्षीय नियमित सेवा की हो तथा निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों :— (क) आवश्यक – (i) सरकारी संस्थान या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स में एक वर्षीय डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम –ए लेवल प्रमाणपत्र के साथ सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए ; या (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन या इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा ; या (iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्प्यूटर साइंस या कम्यूनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री ; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री। (ख) अनुभव – (i) मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से नेटवर्किंग में 2 वर्ष का अनुभव। (ग) वांछनीय – (i) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक संस्थान से 2 वर्षीय अनुभव के साथ सिस्को प्रमाणित नेटवर्क असोसिएट (सीसीएनए) **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित युक्त होगी : 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी —अध्यक्ष । 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी —सदस्य । 3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2 या ग्रेड–3, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी — सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/44/2018–पीटी]
डी के घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 30th December, 2020

G.S.R. 209.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Network Administrator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Network Administrator), Recruitment Rules, 2020.

   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Network Administrator.	03* (2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29,200 – 92,300)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Data Entry Operator in level 4 in the pay matrix Rs.25,500-81,100 with five years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officer under the Central Government or State Governments :- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or (ii) with five years regular service as Date Entry Operator in level - 4 in the pay matrix (Rs.25,500 - 81,100/-) or equivalent in the parent cadre or Department and possessing the following educational qualifications and experience:- **(a) Essential:** (i) 12th Standard or equivalent pass with Science and Mathematics subjects from a Government recognised Board	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; 2.Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member; 3.Administrative Officer Grade-II or Grade –III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Not applicable.

with certificate in one year diploma in computer applications or department of electronics and accreditation of computer courses - A level from a Government Institution or Government recognised Institution; or (ii) Diploma in Electronics and Communication or Information Technology from a recognised University; or (iii) Bachelor Degree in Electronics or Computer Science or Communication or Information Technology from a recognised University; or (iv) Bachelor degree in computer applications from a recognised University. **(b) Experience:** (i) two years experience in networking from recognised public institution. **(c) Desirable:** (i) Cisco certified network associate (CCNA) with two years experience from recognised public institution. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F.No. 23011/44/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.